

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 984/भू अ0

दिनांक : 30/12/17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-गढ़िया, थाना-मधुपुर, थाना सं०-212, अंचल- मधुपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अधवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-गढ़िया, थाना-मधुपुर, थाना सं०-212, अंचल-मधुपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 3.30 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क.स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामि त्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14	1233	रैयती	बाड़ी-2	0.065	मंगल किस्कु वो देव किस्कु वो अर्जुन किस्कु पे० केसर किस्कु वो रंजीत किस्कु वो छोटू किस्कु पे० जागेश्वर किस्कु अंश सा० देह।	पतरों नदी	मौजा मथुरा नं०- 218	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	14	1232	रैयती	मकान	0.025	तथैव।				
3	25	1118	रैयती	बाड़ी-2	0.56	नुनूलाल टुडू वो बुधन टुडू वो सोना राम टुडू पे० मनु टुडू वो चुरकी मांझी पति रमेश टुडू अंश समान सा० देह।				
4	25	1173	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
5	25	1177	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
6	25	1204	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव।				
7	25	1117	रैयती	बाड़ी-2	0.06	शिवलाल टुडू वो सोनाराम टुडू वो लखन टुडू पे० वंशी टुडू अंश समान सा० देह।				
8	25	1174	रैयती	बाड़ी-2	0.10	तथैव।				
9	25	1175	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
10	25	1171	रैयती	बाड़ी-2	0.06	केलू टुडू पे० दलु टुडू वो सुरेश टुडू पे० घनश्याम टुडू अंश समान सा० देह।				
11	25	1172	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
12	25	1176	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
13	25	1206	रैयती	मकान	0.015	तथैव।				
14	27	1208	रैयती	मकान	0.05	लिखम हाँसदा पे० लोथवा हाँसदा वो बिनोद हाँसदा वो परवान हाँसदा पे० जुमरा हाँसदा अंश समान सा० देह।				
15	27	1211	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
16	27	1114	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
17	27	1212	रैयती	बाड़ी-2	0.025	सरजन हाँसदा वो हेमलाल हाँसदा पे० रसीक हाँसदा वो विपन हाँसदा वो पानेश्वर हाँसदा पे० किस्कू हाँसदा वो परगन हाँसदा पे० शोमन हाँसदा वो नूनूलाल हाँसदा पे० रूयुम हाँसदा वो तियासर हाँसदा पे० झुमर हाँसदा अंश समान सा० देह।				

2


18	27	1214	रैयती	बाड़ी-1	0.055	दिलीप हाँसदा पे० मदन हाँसदा वो गणेश हाँसदा वो सुनिल हाँसदा पे० पोरेमे हाँसदा वो लुखु हाँसदा पे० केरे हाँसदा वो मदन हाँसदा पे० रूपु हाँसदा वो छटकी मराण्डी पति मुन्ना हाँसदा वो ठाकुर हाँसदा पे० भूखल हाँसदा अंश समान सा० देह।				
19	27	1231	रैयती	बाड़ी-1	0.06	तथैव।				
20	27	1113	रैयती	बाड़ी-2	0.08	लिखम हाँसदा पे० लोधवा हाँसदा वो विनोद हाँसदा वो परवान हाँसदा पे० जूमरा हाँसदा वो सरजन हाँसदा वो हेमलाल हाँसदा पे० रसीक हाँसदा वो विपन हाँसदा वो पानेश्वर हाँसदा पे० किस्टू हाँसदा वो परगना हाँसदा पे० शोमन हाँसदा वो नुनलाल हाँसदा पे० रूयुम हाँसदा वो जियासर हाँसदा पे० झमर हाँसदा अंश समान सा० देह।				
21	29	1115	रैयती	बाड़ी-2	0.26	तथैव।				
22	27	1110	रैयती	मकान	0.025	दिलीप हाँसदा पे० मदन हाँसदा वो गणेश हाँसदा वो सुनिल हाँसदा पे० जेरेम हाँसदा वो लुखु हाँसदा पे० केरे हाँसदा अंश समान सा० देह।				
23	27	1082	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
24	27	1081	रैयती	मकान	0.03	तथैव।				
25	27	1077	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
26	27	1109	रैयती	मकान	0.025	लिखम हाँसदा पे० लोधवा हाँसदा वो विनोद हाँसदा वो परवान हाँसदा पे० जुमरा हाँसदा वो जियासर हाँसदा पे० झमर हाँसदा अंश समान सा० देह।				
27	27	1080	रैयती	बाड़ी-1	0.07	मदन हाँसदा पे० रूपु हाँसदा वो छोटकी मराण्डी पति मुन्ना हाँसदा वो ठाकुर हाँसदा पे० भूखल हाँसदा अंश समान सा० देह।				
28	28	1111	रैयती	बाड़ी-1	0.015	रंजन टुडू वो मनोज टुडू वो सुनील टुडू वो छोटू टुडू वो बादल टुडू वो अमर टुडू पे० प्राण टुडू वो चन्दर टुडू वो शिव टुडू पे० सोना लाल टुडू अंश समान सा० देह।				
29	28	1112	रैयती	मकान	0.05	तथैव।				
30	28	1111	रैयती	बाड़ी-1	0.04	तथैव।				
31	37	1108	रैयती	मकान	0.025	मोतीलाल हाँसदा वो सामलाल हाँसदा वो भगन हाँसदा वो शिवू हाँसदा पे० गौविन्द हाँसदा वो नुनलाल हाँसदा पे० बुधन हाँसदा अंश समान सा० देह।				
32	37	1083	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
33	37	1076	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
34	37	1075	रैयती	बाड़ी-2	0.36	तथैव।				
35	37	1213	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव।				
36	38	1119	रैयती	बाड़ी-2	0.20	राजू सोरेन वो विनोद सोरेन वो मुन्सु सोरेन पे० मंगल सोरेन अंश समान सा० देह।				
37	38	1205	रैयती	बाड़ी-1	0.015	तथैव।				
38	38	1207	रैयती	मकान	0.02	तथैव।				
39	38	1205	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
40		1121	रैयती		0.04	मुस्तवाहा।				
41		419	रैयती		0.16	तथैव।				
42		1229	रैयती		0.065	तथैव।				
43	60	1074	रैयती	बाड़ी-2	0.32	आनन्द प्र० वो विजय भूषण प्र० पे० महावीर				

					प्र० वो सन्तोष कुमार सिंह वो भूवन कुमार सिंह वो सुमन कुमार सिंह पे० तालिका प्र० वो मदन मुरारी प्र० वो विपीन बिहारी प्र० वो विनय कुमार सिंह वो सुशील कुमार सिंह वो सुबोध कुमार सिंह वो प्रमोद कुमार सिंह पे० मोक्षदा प्र० सिंह वो प्रमोद कुमार सिंह पे० मोक्षदा प्र० सिंह वो आशुतोश प्र० सिंह वो अशोक कुमार सिंह पे० चन्द्रमोली प्र० वो आलोक कुमार सिंह पे० प्रकाश ना० सिंह वो नरेश कुमार सिंह वो नवीन कुमार सिंह वो प्रवीन कुमार सिंह पे० सहदेव सिंह वो कृष्णबल्लभ प्र० वो रामरतन प्र० वो प्रदीप कुमार सिंह पे० आनन्द प्र० वो हेमलता देवी पति दिलीप कुमार सिंह अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा-	3.30				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 984 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/12/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


28/12/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।